रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940
No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

सं. 19/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 345(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2809 10 00 अंतर्गत आती है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/47/2016-डीजीएडी, दिनांक 05 मार्च, 2018, जिसे दिनांक 05 मार्च, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचते है कि–

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई।

(ii) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी

प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा अवतरण मूल्य और कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि में अंतर के बराबर की दर से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि अमे.डॉ. में	यूओएम (माप इकाई)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**2809 10 00**	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चांगझाओ सिटी किशूयान फाइन कैमिकल कं. लि. (क्यूशूयान)	चांगझाओ सिटी किशूयान फाइन कैमिकल कं. लि. (क्यूशूयान)	1685.42	मैट्रिक टन
2	**2809 10 00**	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एंगहुई लांगहुआ कैमिकल इं. कं. लि. (इसके पहले जिसे मैसर्स चिझाऊ लांगहुआ फार्मकेम कं. लि.)	एंगहुई लांगहुआ कैमिकल इं. कं. लि. (इसके पहले जिसे मैसर्स चिझाऊ लांगहुआ फार्मकेम कं. लि.)	1685.42	मैट्रिक टन
3	**2809 10 00**	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त (1) और (2) से भिन्न अन्य कोई		1685.42	मैट्रिक टन
4	**2809 10 00**	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	चीन	1685.42	मैट्रिक टन
5	**2809 10 00**	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चीन	कोई भी	1685.42	मैट्रिक टन

2. लगाया गया या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(i) इन आयातों का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क में दिए गए शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं ।

(ii) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/87/2018–टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

No. 19/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 345(E).—Whereas in the matter of "Phosphorus Pentoxide" (hereinafter referred to as 'the subject goods') falling under tariff item 2809 10 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings vide notification number No.14/47/2016-DGAD dated the 05th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 05th March, 2018, has come to the conclusion that–

(a) The product under consideration has been exported to India from the subject country below the normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports from the subject country;

And, whereas, the designated authority has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, a definitive anti-dumping duty as the difference between the amount indicated in column (8) and per unit landed value of the subject goods, provided that the per unit landed value is less than the value indicated in column (8) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S.N.	**Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Exporter**	**Amount in US$**	**UOM (Unit of Measurement)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	28091000	Phosphorus Pentoxide	China PR	China PR	Changzhou City Qishuyan Fine Chemicals Co. Ltd. (Quishuyan)	Changzhou City Qishuyan Fine Chemicals Co. Ltd. (Quishuyan)	1685.42	MT

2	28091000	Phosphorus Pentoxide	China PR	China PR	Anhui Longhua Chemical Industry Company Ltd. (Earlier Known as M/S Chizhou Longhua Pharmachem Co. Ltd.)	Anhui Longhua Chemical Industry Company Ltd. (Earlier Known as M/S Chizhou Longhua Pharmachem Co. Ltd.)	1685.42	MT
3	28091000	Phosphorus Pentoxide	China PR	China PR	Any other than (1) and (2) above		1685.42	MT
4	28091000	Phosphorus Pentoxide	China PR	China PR	Any	China	1685.42	MT
5	28091000	Phosphorus Pentoxide	China PR	China PR	China	Any	1685.42	MT

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(i) Landed value of imports shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

(ii) Rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No.354/87/2018–TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.09 22:58:31 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.